

अनुबन्ध-क

मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना

1. शीर्षक

यह योजना मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना, 2023 कहलायेगी। योजना हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी।

2. उद्देश्य:-

योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं व एकल नारियों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करना है।

3. परिभाषाएं:-

- (1) "अनुबन्ध" से अभिप्राय योजना के साथ संलग्न अनुबन्धों से है।
- (2) "मुख्यमन्त्री" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री से है।
- (3) "विधवा" से अभिप्राय जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पुर्नविवाह नहीं किया हो।
- (4) "एकल नारी" से अभिप्राय (40 वर्ष या अधिक आयु की महिला), जिनके पति गत सात वर्ष से लापता हों, जो अविवाहित हों, अपने पति से अलग रह रही हों अथवा जो वर्तमान में अपने माता पिता के साथ रह रही हों। इसके अतिरिक्त आयु में छूट प्रदान करने हेतु मुख्यमन्त्री हि0प्र0 मान्य होंगे।
- (5) "परिवार" से अभिप्राय माता/पिता, वयस्क/अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रिया जिनका नाम राशन कार्ड में आवेदक के साथ दर्ज हो परिवार की परिधि में आएंगे।
- (6) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश से है।
- (7) "जिला कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के जिला कल्याण अधिकारी से है।
- (8) "तहसील कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित तहसील के तहसील कल्याण अधिकारी से है।
- (9) "निदेशक" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0 के निदेशक से है।
- (10) "आवास अनुदान" से अभिप्राय पात्र परिवार की विधवा या एकल नारी को आवास निर्माण हेतु निर्धारित सहायता राशि से है।

4. पात्रता:-

1. ऐसी विधवा अथवा एकल नारी, जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हो।
2. जिनके पास निजी आवास न हो अथवा कच्चा जीर्ण अवस्था में मकान हो।
3. जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये से अधिक न हो,
4. जिनके पास आवास निर्माण के लिए राजस्व अभिलेख में कम से कम 02 बिस्वा भूमि दर्ज हो अथवा जिनके पक्ष में सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई हो।
5. प्रार्थी के परिवार द्वारा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता राशि प्राप्त न की हो या आवास स्वीकृत न हो।
6. योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि 10 वर्ष में एक बार ही स्वीकृत की जाएगी बशर्ते कि आवास प्राकृतिक आपदा से नष्ट न हुआ हो।
7. योजना के अन्तर्गत निम्न वरीयता के आधार पर विधवा एवम् एकल नारियों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी:-
 - (क) जिनके मकान प्राकृतिक आपदाओं जैसे अग्नि, बाढ़, भूकम्प इत्यादि से नष्ट हो गए।
 - (ख) 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हो।
 - (ग) अन्य सभी पात्र अभ्यर्थी।

5. सहायता राशि:-

आवास निर्माण के लिए एक लाख पच्चास हजार (1,50,000/-) रुपये की सहायता राशि देय होगी।

6. आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया:-

- (1) इच्छुक आवेदिका आवास निर्माण सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमन्त्री/मुख्यमन्त्री के कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करेंगे
- (2) मुख्यमन्त्री के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को छानबीन उपरान्त सम्बंधित जिला उपायुक्त एवं पांगी उप मण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी/स्पिति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त/ डोडरा क्वार उप मण्डल में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) को भेजा जाएगा।
- (3) समस्त जिलों के उपायुक्त एवं पांगी उप मण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी/स्पिति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त/ डोडरा क्वार उप मण्डल में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) का यह दायित्व होगा कि प्राप्त आवेदनों को सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी काजा, पांगी, भरमौर व डोडरा-क्वार को योजना के प्रावधानानुसार आगामी छानबीन हेतु प्रेषित करें।
- (4) जिला कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त आवेदन को सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी को औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु भेजें।
- (5) तहसील कल्याण अधिकारी प्रार्थना-पत्र के साथ आवेदिका के निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे :-
 - (क) इच्छुक आवेदिका अनुबन्ध-1 पर आवेदन करेगी।
 - (ख) विधवा/एकल नारी प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत अधिकारी से जारी हो।

(ख) वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत अधिकारी से जारी हो।

(ग) जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, उस पर आवेदिका का मालिकाना हक होने वाले राजस्व विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुबन्ध-2 पर जारी प्रमाण पत्र।

(घ) पंचायत सचिव/शहरी स्थानीय निकाय के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कि आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है।

(ङ) हिमाचल का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत अधिकारी से जारी हो।

(च) बैंक खाता पासबुक की प्रति।

(छ) आधार कार्ड की प्रति।

- (6) सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी, पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय में श्रेणीवार एक रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-3 पर प्राप्ति तिथि अनुसार दर्ज करेंगे तथा प्रार्थना-पत्र के ऊपर दाईं तरफ रजिस्टर का क्रमांक तथा प्राप्ति की तिथि अंकित करेंगे।
- (7) तहसील कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह नियम 4 अनुसार पात्र व्यक्तियों के प्राप्त प्रार्थना पत्र को 45 दिन के भीतर मौके का निरीक्षण कर प्रार्थना पत्र निरीक्षण रिपोर्ट सहित मूलरूप से जिला कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- (8) जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी काजा, पांगी भरमौर व डोडरा-क्वार का यह दायित्व होगा कि नियम 4 व 6(2) अनुसार सभी औपचारिकाताएँ पूर्ण कर प्रार्थना पत्रों एवम अपात्र या अधूरे प्रार्थना-पत्रों की अलग से सूची तैयार कर सम्बन्धित जिला के उपायुक्त एवं पांगी उप मण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी/स्पति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त/ डोडरा क्वार उप मण्डल में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) को सिफारिश हेतु प्रस्तुत करें।
- (9) जिला के उपायुक्त एवं पांगी उप मण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी/स्पति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त/ डोडरा क्वार उप मण्डल में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अपनी अनुशंसा सहित आवेदिका के आवेदन को समस्त दस्तावेजों सहित मूलरूप से मुख्यमन्त्री कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- (10) जिला के उपायुक्त एवं पांगी उप मण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी/स्पति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त/ डोडरा क्वार उप मण्डल में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) का यह भी दायित्व होगा कि यदि कोई आवेदिका योजना के अन्तर्गत आवास अनुदान हेतु अपात्र है तो ऐसे मामलों की कारण सहित सूचना भी मुख्यमन्त्री को भेजना सुनिश्चित करें।
- (11) जिला के उपायुक्त एवं पांगी उप मण्डल में आवासीय आयुक्त/भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी/स्पति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त/ डोडरा क्वार उप मण्डल में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) से प्राप्त अनुशंसित मामलों की मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा छानबीन की जाएगी तथा सम्बन्धित लेखाशीर्ष में बजट उपलब्धता अनुसार स्वीकृति लेकर अन्तिम अनुमोदन हेतु मुख्यमन्त्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

- (12) मुख्यमंत्री से अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरान्त वित्तीय स्वीकृति की प्रतियां निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0 के पक्ष में जारी की जाएंगी जिसका आहरण सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी, पांगी, भरमौर, स्पति व डोडरा क्वार के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

7. सहायता राशि के उपभोग की शर्तें तथा भुगतान की प्रक्रिया:-

- (1) स्वीकृति आदेश की प्रति की प्राप्ति के उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी द्वारा सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों को सूचना भेजी जाएगी तथा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा समस्त लाभार्थियों को सहायता राशि की स्वीकृति की सूचना तथा अनुदान उपभोग की निम्नलिखित शर्तों बारे पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा:-
- (क) अनुदान राशि की अदायगी से पूर्व लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र **अनुबन्ध-4** पर वचनबद्धता देनी होगी।
- (ख) लाभार्थी को कम से कम 180 वर्ग फुट "पलिनथ एरिया" का मकान निर्मित करना होगा, जिसमें एक कमरा, रसोई, स्नानागार तथा शौचालय का निर्माण आवश्यक होगा।
- (ग) लाभार्थी को स्वीकृत अनुदान राशि का कम से कम 25 प्रतिशत राशि अपने हिस्से से नकद/वस्तु व श्रम के माध्यम से आवास निर्माण पर व्यय करना होगा।
- (घ) लाभार्थी द्वारा अपने आवास के छत का कार्य व शौचालय निर्माण पूर्ण करने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र **अनुबन्ध-5** पर तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- (ङ) आवास निर्माण का कार्य भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में अनुदान की प्रथम किश्त की तिथि से दो वर्ष के भीतर व अन्य क्षेत्रों में 18 महीनों के भीतर पूर्ण करना होगा।
- (च) लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण कार्य के पूर्ण होने के दस वर्ष तक मकान को बेचा नहीं जाएगा अथवा किसी अन्य के नाम पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
- (छ) लाभार्थी को राशि आबंटन से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
- (2) यदि किसी मामले में लाभार्थी से एक माह की अवधि में वचन बद्धता प्राप्त नहीं होती या वह सहायता राशि प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हो अथवा योजना नियमानुसार अपात्र हो तो ऐसे मामले में सम्बन्धित के पक्ष में स्वीकृत राशि रद्द करवाते हुए प्रतीक्षा सूची में पात्र आवेदिका की प्रतिस्थापना स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाएगी।
- (3) स्वीकृत राशि का भुगतान दो बराबर किश्तों में लाभार्थी के खाते में किया जाएगा जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा पलिनथ स्तर तक कार्य के उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी द्वारा एन0ई0एफ0 टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उसके बचत खाते में जमा करवाकर किया जाएगा, जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्र द्वारा भी दी जाएगी।

- (4) लाभार्थी द्वारा अपने मकान के छत का कार्य व शौचालय निर्माण पूर्ण करने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व तहसील कल्याण अधिकारी से प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र व निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त जारी की जाएगी।
- (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी को द्वितीय किश्त के रूप में सहायता राशि लाभार्थी के बचत खाते में एन0ई0एफ0 टी0/आर0 टी0जी0एस0 के माध्यम से जारी करनी होगी।
- (6) यदि किन्ही कारणों से लाभार्थी आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे मामले में छः माह तक उपभोग अवधि बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए लाभार्थी को लिखित में अवधि बढ़ाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से जिला कल्याण अधिकारी को अनुरोध करना होगा। जिला कल्याण अधिकारी छः माह तक उपभोग अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम होंगे।
- (7) आवास स्वीकृति उपरान्त अथवा प्रथम किश्त जारी करने उपरान्त लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में क्रमशः स्वीकृत राशि व शेष द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान लाभार्थी के कानूनी उत्तराधिकारी को योजना के नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके किया जाएगा।
- (8) यदि लाभार्थी आवास निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे मामले में तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा लाभार्थी के हित में स्वीकृत राशि को ब्याज सहित वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा।
- (9) लाभार्थी द्वारा सहायता राशि के दुरुपयोग करने के मामले में जारी की गई राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। राशि वापिस ना करने की दशा में पूर्ण राशि लाभार्थी अथवा उसके कानूनी वारिसों से राजस्व वसूलियों के माध्यम से वसूल की जाएगी। जिन मामलों में वसूली सम्भव न हो, ऐसे मामलों में अदा की गई राशि को वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुरूप बट्टे-खाते में डालने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया जाएगा।
- (10) यदि सरकार द्वारा आवास बनाने हेतु लाभार्थी के पक्ष में भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी की मृत्यु के उपरान्त यह आवास सरकारी सम्पत्ति समझा जाएगा।
- (11) यदि लाभार्थी द्वारा योजना के अन्तर्गत आवास को स्वयं की भूमि पर बनाया गया हो ऐसे मामलों में लाभार्थी द्वारा 25 वर्ष तक उक्त आवास को बेचा नहीं जाएगा।

8. निरीक्षण:-

- (1) तहसील कल्याण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह समय-समय पर लाभार्थी द्वारा किए जा रहे आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण करें तथा उसे निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करवाएं। यदि लाभार्थी द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ व पूर्ण नहीं किया जाता तो तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा लाभार्थी को निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए कम से कम तीन नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।
- (2) जिला कल्याण अधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृत मामलों के 10 प्रतिशत आवास निर्माण मामलों में स्वयं निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करना होगा कि सहायता राशि जिस उद्देश्य के लिए लाभार्थी को स्वीकृत हुई थी उसी उद्देश्य के लिए सहायता राशि का उपयोग नियमों के अंतर्गत किया गया है।

- (3) लाभार्थी से आवास निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी को लाभार्थी के आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण करके कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

9 .लेखा शीर्ष :-

इस योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय अलग लेखा शीर्षों अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर महालेखाकार की सहमति से किए गए संशोधित लेखा शीर्षों में प्रावधित बजट से किया जाएगा:-

1. मांग संख्या 19-2235-02-103-36-सून-महिला आवास योजना-63 उपदान
2. मांग संख्या 31-2235-02-796-43-सून-महिला आवास योजना-63 उपदान
3. मांग संख्या 32-2235-02-789-45-सून-महिला आवास योजना-63 उपदान

10 .अभिलेख का रख-रखाव :-

- (1) निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0 शिमला-9 ऐसे सभी लेन-देन/कार्यविवरण के अभिलेख के रख-रखाव हेतु उत्तरदाई होंगे।
- (2) जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में स्वीकृत मामलों के अनुश्रवण के लिए एक रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-6 पर रख-रखाव करना होगा तथा डिजिटल माध्यम से भी उक्त का अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में जिला कल्याण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-7 पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करनी होगी।

11.लेखा-परीक्षा :-

इस योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय की लेखा-परीक्षा महालेखाकार (लेखा) हि0 प्र0 के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

.....

अनुबन्ध-1

नियम 6(1)

मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना, के लिये प्रार्थना पत्र

1. आवेदिका का नाम :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. जाति :.....
4. आवेदिका की आयु :.....
5. आधार संख्या :.....
6. खाता संख्या :.....आई0एफ0एस0सी0 कोर्ड.....

.....

7. बैंक व शाखा का नाम :.....
7. आवेदिका का पूरा पता:- गांवडा0
पंचायत.....

तहसील..... विधानसभा.....जिला.....
.....हि0प्र0.

8. समस्त साधनों से आवेदक के परिवार की वार्षिक आय :.....
9. व्यवसाय :.....
10. आश्रितों की संख्या :.....
11. (क) क्या आपके पास कोई आवास है। यदि है तो विवरण दें।.....

(ख) यदि हाँ तो संक्षिप्त रूप में कारण बताएं कि आप दूसरा मकान क्यों बनाना चाहते हैं :.....

(ग). क्या आप प्रमाणित करते हैं कि जिस आवास का निर्माण आप अनुदान की राशि से करेंगे आप उसी में वास करेंगे :

(घ) यदि परिवार के किसी सदस्य द्वारा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी आवास हेतु अनुदान राशि प्राप्त की गई है अथवा अनुदान राशि हेतु आवेदन किया है तो विवरण दे :

12. क्या आप प्रमाणित करते हैं कि मकान निर्माण करने की कुल लागत की 25 प्रतिशत राशि आप स्वयं वहन करेंगे :.....

13. क्या आप योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करने का वचन देते हैं.....

14. क्या आप नियमों के अधीन दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास बनाने का वचन देते हैं?.....

15. क्या आप वचनवद्धता देते हैं कि आपके हित में स्वीकृत राशि केवल आवास निर्माण पर ही व्यय करेंगे?.....

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तिथि :

आवेदिका के हस्ताक्षर

दिनांक:

प्रार्थना पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की सूची

- (क) विधवा/एकल नारी प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत अधिकारी से जारी हो।
(ख) वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत अधिकारी से जारी हो।
(ग) जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, उस पर आवेदिका का मालिकाना हक होने बारे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध-2 पर जारी प्रमाण पत्र।
(घ) पंचायत सचिव/शहरी सचिव द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कि आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है।
(ङ) हिमाचल का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत अधिकारी से जारी हो।
(च) आधार कार्ड की प्रति।
(छ) बैंक खाता पासबुक की प्रति संलग्न हो।
(ज) वचनबद्धता प्रपत्र।

१

सत्यापना रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुपुत्री/ विधवा
..... गांव/शहर डाकघर विधानसभा क्षेत्र.....
.....तहसील जिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. प्रार्थी के आवास के मौके का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक.....को किया गया है। प्रार्थी के पास कमरे का मंजिला पक्का/कच्चा पुराना मकान है।
2. यदि प्रार्थी का आवास प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुआ है तो राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट सहित पूर्ण ब्यौरा दे:-.....
3. प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल बीघा/विस्वा भूमि उपलब्ध है।
4. प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुनर्विवाह नहीं किया है।
5. प्रार्थी एकल नारी है।
6. प्रार्थी की दिव्यांगता जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रतिशत प्रमाणित की गई है।
7. प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी /निगमों/बोर्डों इत्यादि में कार्यरत नहीं है।
8. प्रार्थी की परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय रूपए अंको में (.....) (रूपए शब्दों में) है। (राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)
9. क्या प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि प्राप्त की गई है यदि हाँ तो पूर्ण ब्यौरा दें :-

उक्त के दृष्टिगत प्रार्थी मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि हेतु पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत/रद्द करने हेतु सिफारिश की जाती है।

तहसील कल्याण अधिकारी
(मोहर व तिथि सहित)

राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति सुपुत्री/विधवा.....
 गांव/शहर.....डाकघर..... पिन
तहसील जिला हिमाचल प्रदेश के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज
 है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र०सं० | आवेदिका का नाम | मौजा | कुल भूमि | खसरा न० जिस पर आवास बनाया जाना है। | सम्बंधित खसरा न० में प्रार्थी का कुल हिस्सा | खसरा न० पर यदि कोई ऋण लिया गया है तो ब्यौरा: | टिप्पणी |
|---------|----------------|------|----------|------------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | |

दिनांक.....

हस्ताक्षर हल्का पटवारी
मोहर सहित

सत्यापन :-

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
मोहर सहित

अनुबन्ध-3

नियम 6(3)

आवास निर्माण हेतु अनुदान के लिए प्राप्त व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर

| प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि | क्रमांक | प्रार्थी का नाम व पता | प्रार्थी की जाति/वर्ग/समुदाय | पंचायत | विधानसभा क्षेत्र | यदि प्रार्थी का परिवार बी0 पी0 एल0 से सम्बंधित है तो विवरण | प्रार्थी की वार्षिक आय | मामले की स्वीकृति संख्या / तिथि/ राशि | विशेष विवरण यदि कोई हो |
|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|--------|------------------|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

10

अनुबन्ध-4
(वचनबद्धता)

मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना नियम 8(क)

मैं.....पुत्री/विधवा.....जाति.....निवासी.....

तहसीलजिलाहिमाचल प्रदेश (लाभार्थी) वचन देती हूँ कि:-

1. मैंने जिला कल्याण अधिकारी.....(जिला) के कार्यालय में मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु अनुदान के लिए आवेदन किया था। विभाग द्वारा आवास के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में मुझे मु0.....(.....) रूपरे की राशि स्वीकृत की गई है।
2. मैं मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत नियमों/शर्तों के अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग समयावधि में उस प्रयोजन, के लिए करूंगी जिसके लिए यह अनुदान स्वीकृत किया गया है।
3. मैं यदि मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान का सदुपयोग नियमानुसार करने में विफल रहती हूँ तो, मैं भुगतान की गई राशि को प्रचलित ब्याज दर सहित सरकार को तुरन्त जमा करवाने का वचन देती हूँ तथा यदि मैं अनुदान राशि देने में असमर्थ रहती हूँ तो सरकार द्वारा निर्धारित नियम तथा कानून के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि को ब्याज सहित वसूल किया जाए।

लाभार्थी (वचनकर्ता) के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यापन करता हूँ कि उपरोक्त वचनबद्धता में दिए गये तथ्यों मेरे ज्ञान के अनुसार सही है तथा मैंने इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है।

आज दिनांकको(स्थान) सत्यापित किया गया।

लाभार्थी (वचनकर्ता) के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर पूर्ण पते सहित

अनुबन्ध-5

नियम 8(घ)

आवास निर्माण योजना हेतु कार्यपूर्ति - प्रमाण पत्र

मैं..... पुत्री/विधवा.....गावंडा0.....
.....तहसील जिला प्रमाणित करती हूँ कि मुझे वर्ष
.....में.....रु केवल की राशि आवास निर्माण हेतु जिला कल्याण अधिकारी.....
.....के कार्यालय से आवास अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी इस राशि से मैंने अपने
आवास निर्माण का कार्य नियमानुसार पूर्ण कर लिया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व
विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाए गए खसरा नम्बर में आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।
मैं यह भी प्रमाणित करती हूँ कि स्वीकृत अनुदान के अतिरिक्त मैंने अपनी और से 25% अंशदान की
राशि निर्माण कार्य पर व्यय की है तथा मैंने मौके पर कमरा, रसोई, स्नानागार तथा शौचालय तैयार
कर दिया है।

गवाह के हस्ताक्षर

लाभार्थी के हस्ताक्षर/ पूरा पता

नाम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....नाम.....पुत्री/विधवा.....

गां0.....डा0.....तहसील.....जिला.....हि0प्र0।

तहसील.....जिलाहि0प्र0।

निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतिपुत्री/विधवा
गां0.....डा0.....तहसील जिला की
विभाग द्वारा वर्षमें आवास निर्माण हेतु मू0.....रु की राशि अनुदान के रूप
में स्वीकृत हुई थी जिसमें से प्रथम किस्त मु0.....रुका
भुगतान दिनांकको लाभार्थी को किया जा चुका है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को श्रीमतिके मौके का निरीक्षण
किया गया व यह पाया गया है कि उक्त लाभार्थी द्वारा मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी योजना
नियम अनुसार अपने आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है। श्रीमतितथा
गवाहद्वारा उपरोक्त आवास निर्माण हेतु दिए गए कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुसार
लाभार्थी ने अपना 25% योगदान आवास निर्माण के कार्य में खर्च कर दिया है तथा लाभार्थी द्वारा
मौके पर कमरा, रसोई, स्नानागार तथा शौचालय तैयार कर दिया है।

तहसील कल्याण अधिकारी

.....।

दिनांक:-

पृष्ठाकन संख्या :-

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में जिला कल्याण अधिकारी की सेवा में
प्रेषित है तथा निवेदन किया जाता है कि श्री/श्रीमति..... पत्नी/विधवा.....
.....गां0.....डा0.....तहसील जिला को अनुदान के
दूसरी किस्त मु0.....रु0.....की राशि भुगतान करने की कृपा करे।

तहसील कल्याण अधिकारी

अनुबन्ध-6

नियम 11(1)

मुख्यमन्त्री विधवा एवम एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों का रजिस्टर

| स्वीकृति संख्या / दिनांक | लाभार्थी का नाम | पिता / पति का नाम | गांव | डाकघर | विधानसभा क्षेत्र | तहसील | लाभार्थी का बैंक खाता संख्या व बैंक शाखा का नाम | कुल स्वीकृत राशि | अनुदान की प्रथम किस्त जारी करने की तिथि | जारी किए गये अनुदान की राशि | जिला / तहसील कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर | अनुदान की द्वितीय किस्त जारी करने की तिथि | जारी किए गये अनुदान की राशि | जिला / तहसील कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर | विवरण |
|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-------|------------------|-------|---|------------------|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

१

अनुबन्ध-7

नियम 11(2)

मुख्यमन्त्री विधवा एवम एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट

जिला का नाम.....

| वित्तीय वर्ष में आबंटित बजट | | | | | | वित्तीय वर्ष में आबंटित भौतिक लक्ष्य | | | | | | वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट | | | | | | भौतिक उपलब्धियां | | | | | |
|-----------------------------|----|----|-----|------|-------|--------------------------------------|----|----|-----|------|-------|------------------------------|----|----|-----|------|-------|------------------|----|----|-----|------|-------|
| Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total | Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total | Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total | Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| वित्तीय वर्ष में जितने लाभार्थियों को राशि की प्रथम किश्त जारी की गई | | | | | | वित्तीय वर्ष में जितने लाभार्थियों को राशि की द्वितीय किश्त जारी की गई | | | | | | वित्तीय वर्ष के अंत में शेष लाभार्थियों जिन्होंने निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है। | | | | | | वित्तीय वर्ष के अंत में शेष लम्बित मामलों की संख्या | | | | | |
|--|----|----|-----|------|-------|--|----|----|-----|------|-------|---|----|----|-----|------|-------|---|----|----|-----|------|-------|
| Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total | Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total | Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total | Gen. | SC | ST | OBC | Min. | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

जिला कल्याण अधिकारी,

.....